राष्ट्रीय श्रम संबंध अधिनियम के तहत आपके अधिकार

राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड

कर्मचारियों को अपनी कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए—यूनियन के साथ या उसके बिना एकजुट होने का अधिकार है।

सामूहिक गतिविधि सुरक्षित है

- नौकरी से संबंधित मुद्दों जैसे वेतन, काम के घंटे, सुरक्षा या अनुचित व्यवहार के बारे में एक-दूसरे से बात करना
- किसी पर्यवेक्षक, सरकारी एजेंसी, प्रेस या किसी दूसरे व्यक्ति से काम से संबंधित मामलों के बारे में शिकायत करना

किसी व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधि को सुरक्षित किया जा सकता है

- अन्य कर्मचारियों के लिए बोलना
- कार्यस्थल में सुधार करने के लिए अन्य कर्मचारियों को एकजुट होने के लिए मनाने की कोशिश करना
- NLRB से आरोप फ़ाइल करना

यूनियन की गतिविधि सुरक्षित है

- कार्यस्थल पर किसी यूनियन के लिए समर्थन व्यक्त करना
- सहकर्मियों को संगठित करने में किसी यूनियन की मदद करना
- किसी यूनियन का समर्थन करने से इंकार करना

यदि आप NLRA के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, तो आपका नियोक्ता

- आपको निकाल नहीं सकता या पदावनत नहीं कर सकता
- आपके वेतन, काम के घंटे या लाभों को कम नहीं कर सकता
- आपके काम को ज़्यादा मुश्किल या अरुचिकर नहीं बना सकता आपको धमकी नहीं दे सकता
- आपसे आपकी सम्मिलित या यूनियन कार्यवाइयों के बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकता
- आपकी किसी भी सम्मिलित या यूनियन कार्यवाई की जासूसी नहीं कर सकता

यदि आपको लगता है कि अपने NLRA अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आपके साथ भेदभाव किया गया है, या अधिक जानकारी चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। आपकी कॉल मुफ़्त और गोपनीय होती है।

राष्ट्रीय कार्यालय नंबर
1-844-762-6572

अपना स्थानीय कार्यालय ढूंढें
bit.ly/nlrboffices

कोई आरोप फ़ाइल करें
bit.ly/FileACharge